क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1)मसोमात सुमित्रा, पति-स्व0 तुलसी पासवान (2)चेतलाल पासवान, पिता-स्व0 गोविन्द पासवान, ग्राम-परतंगा, थाना-चुरचू हाल थाना आंगो, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-टाटीझरिया, ग्राम-परतंगा, थाना नं0-83, खाता संख्या-6, प्लॉट संख्या-31, रकवा-3.00 एकड़ भूमि रुपेश कुमार, पिता-बैजनाथ राम, ग्राम-हुरहुरू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 12/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, टाटीझरिया से की गई।

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता रूपेश कुमार एवं विक्रेता मसोमात सुमित्रा वगै0 अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदको को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदको के पास रकवा 4.74 1/2 एकड़ भूमि बचेगी। प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की है एवं सर्वे खतियान में चमन दुसाध के नाम दर्ज है। भूमि आवेदको को सर्वे खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 20/I पर गोविन्द दुसाध वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, टाटीझरिया द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता मसोमात सुमित्रा का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/333416 दिनांक-04.02.2021 एवं अंचल अधिकारी, दारू, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/70181 दिनांक-09.01.2021 और क्रेता रूपेश कुमार का अनुमण्डल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता०
1	2	3
	पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1076088 दिनांक-18.08.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/1037119 दिनांक-19.08.2017 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-टाटीझरिया, ग्राम-परतंगा, थाना नं0-83, खाता संख्या-6, प्लॉट संख्या-31, रकवा-3.00 एकड़ भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.08.08 16:19:07 +05:30
Location: 192.168.100.2